आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–34 / 2023

15.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से डॉ0 जियाउल रहमान, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्त्ता ने अपना लिखित पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने ने आयोग के आदेश का पूर्णतः पालन नहीं होने की बात कही है। इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित डॉ0 जियाउल रहमान, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पिछली सुनवाई के बाद बाकि बचे अनाज का वितरण कर दिया गया है। प्रमाण स्वरूप वो सूची लेकर आयोग में उपलब्ध है। न्याय के हित में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा आयोग को समर्पित सूची की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो पूरे सूची का अध्ययन कर देख ले कि उनकी मूल शिकायतों का अक्षरशः निपटारा हो गया है या नहीं। यदि शिकायतकर्त्ता को ये लगता है कि उनकी मूल शिकायत का निपटारा नहीं हुआ है तो शिकायतकर्त्ता को अपना पक्ष रख सकते है। ताकि उनके पक्ष के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समुचित निर्देश निर्गत किया जा सके।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

G:\Rachana jsfc\Court order.docx16

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267